

महिला सशक्तिकरण

Ashok Kumar

Assistant Professor, Department of Sociology, Govt. PG College, Hisar, Haryana, India

सार

महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये इसका वास्तविक मतलब क्या है, महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे उनमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सकती हैं।

8 March को पुरे विश्व में अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, सही मायने में इस महिला दिन का उद्देश्य क्या है ? ये आज के विद्यार्थियों के लिये जानना आवश्यक है, उन्हें ये समझना होगा देश की तरक्की करनी होगी तो महिलाओं को सशक्त बनना होगा।

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।

How to cite this paper: Ashok Kumar "Women Empowerment" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-5, August 2022, pp.2114-2115, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd51807.pdf



IJTSRD51807

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)



परिचय

नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला दिन पर कहा गया मशहूर वाक्य "देश की तरक्की के लिये पहले हमें भारत के महिलाओं को सशक्त बनाना होगा". एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है.[1]

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, यौन हिंसा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, असमानता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय. लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है.[2]

भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है. लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है.

महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिये. ये जरूरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों. [3]

विचार-विमर्श

एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है.

आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता-पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है. महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार कई सारे कदम उठा रही है.[4]

महिलाओं के खिलाफ कुछ बुरे चलन को खुले विचारों के लोगों और महान भारतीय लोगों द्वारा हटाया गया जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्यों के लिये अपनी आवाज उठायी. राजा राम मोहन रॉय की लगातार कोशिशों की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिये अंग्रेज मजबूर हुए.[5]

बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारकों आचार्य विनोबा भावे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले आदि ने भी महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठायी और कड़ा संघर्ष किया. भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुन विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई.[6]

निष्कर्ष

महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिये महिला दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिये कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है. सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके.[7]

महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है. इसके साथ ही हमें महिलाओं के प्रति हमारी सोच को भी विकसित करना होगा.[8]

संदर्भ सूची

[1] सीताराम सिंह, बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2012, पृ0 98

- [2] ललिता सोलंकी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2015 पृ0 46
- [3] सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ0 161 162
- [4] विश्वनाथ गुप्त भारत में पंचायती राज सुरभि प्रकाशन, पृ0 19
- [5] प्रमोद कुमार अग्रवाल, भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा, दिल्ली 2015, पृ0 27
- [6] विश्वनाथ गुप्त, उपरोक्त, पृ0 24
- [7] सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ0 161
- [8] कुमारी ममता, पंचायती राज महिला सशक्तिकरण यथार्थ के आइने में भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, अंक द्वितीय, जुलाई- दिसम्बर 2018, पृ0 650

